राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

## पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 232/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :—07.08.2025

1. चंद्रप्रकाश आ0 सीताराम जाति लोधा निवासी लोधा की झौपडिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

**वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन**
**वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार**

**निर्णय** दिनांक :— 25/08/2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 199 पुराना 203 की भूमि खसरा संख्या 2477/2858 रकबा 1.1493 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.1493 हैक्टेयर वाके ग्राम लोधा की झौपडिया पटवार मण्डल दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है, उक्त भूमि प्रार्थी को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम नाबालिग कालूलाल दर्ज हो रहा है, प्रार्थी वर्तमान में बालिग हो चुका है, तथा प्रार्थी का सही नाम चंद्रप्रकाश है। प्रार्थी को बाल्यकाल अवस्था में घन पर कालूलाल व चंद्रप्रकाश के नाम से पुकारते थे, इस कारण प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के बाद हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के घर पर आये बिना व सही जानकारी किये बिना राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी का घरेलू नाम कालूलाल के नाम का इन्द्राज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम चंद्रप्रकाश है, इसलिए हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैक पासबुक्स, राशन कार्ड, पेनकार्ड, जॉबकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम चंद्रप्रकाश दर्ज है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कालूलाल दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम चंद्रप्रकाश है और पहचाने के सभी दस्तावेज में भी चंद्रप्रकाश ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर कालूलाल के स्थान पर चंद्रप्रकाश दुरूस्त क़िया जाना न्यायोचित है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने पटवारी हल्का के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज करने से दिनांक 15.07.2025 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम कालूलाल के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर चंद्रप्रकाश दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम कालू दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम लोधा की झौपडिया पटवार मण्डल दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या नया 199 पुराना 203 की भूमि खसरा संख्या 2477/2858 रकबा 1.1493 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.1493 हैक्टेयर वाके ग्राम लोधा की झौपडिया पटवार मण्डल दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम नाबालिग कालूलाल के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर चंद्रप्रकाश दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/1376 दिनांक :–18.08.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम लोधा की झौपडिया के खाता संख्या 199 में प्रार्थी का नाम नाबालिग कालूलाल पुत्र सीताराम सरंक्षक सरपरस्त पिता सीताराम दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों को उक्त खाता नम्बर में दर्ज कालूलाल पुत्र सीताराम व चन्द्रप्रकाश पुत्र सीताराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज कालूलाल पुत्र सीताराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र सीताराम दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विक्रय पत्र के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम चन्द्रप्रकाश

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पुत्र सीताराम है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, माध्यमिक परीक्षा 2018 नामांक–1574049 पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र सीताराम दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

**–: <u>क्रियात्मक आदेश</u> :–**

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम लौधा की झौपडिया पटवार मण्डल दबलाना के खाता संख्या 199 में दर्ज सहखातेदारान नाबालिग कालूलाल पुत्र सीताराम सरंक्षक सरपरस्त पिता सीताराम के स्थान प्रार्थी का सही नाम चन्द्रप्रकाश पुत्र सीताराम शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 25.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

25/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली